



प्रारूप - तीन

## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)



website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com  
Phone No. - 0771-4002693

क्रमांक/मान्यता/नवीनी./...../2016/3958

रायपुर, दिनांक 25/5/2016

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

मोनेट शैक्षणिक समिति मंदिर हसौद रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हसौद रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी)

विषय :- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

—00—

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 11-04-2016 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ परध्यातकर्ता पत्राचार/निरीक्षण उपसंहार में मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हसौद रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी एवं पहली से आठवीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है :-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के परध्यात मान्यता/संबंधता करने के लिए कोई बाधकता विद्यमान नहीं है।
- विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैर-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक फूड बैंक खोलना रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कैंपेडेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सक्षम न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-  
(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।  
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जायेगा।  
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।  
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकतम किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।  
(पांच) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।  
(छ) अध्यापकों की बर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।  
(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ फलटिये

*Shri. J. K. Sharma*

- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्निवनों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकवित्त पाठ्यधर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
- |   |   |
|---|---|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल                   | - |
| कुल निर्मित का क्षेत्र                        | - |
| खेल के मैदान का क्षेत्रफल                     | - |
| कक्षाओं की संख्या                             | - |
| प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्षा | - |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय         | - |
| पेयजल सुविधा                                  | - |
| मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई                 | - |
| बाधारहित पहुंच                                | - |
- अध्यापन पठन सामग्री / ब्रीड खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता -
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1980 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, दैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2016-1-103 डाईस कोड है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- (1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।
18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 25/5/2016

पृष्ठांक/मान्यता/नवीनी./...../2016/3959

प्रतिलिपि :-

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरमपुर/अमनपुर/आरंग/तिल्वा, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनाार्थ।
2. प्राचार्य/नोडल, अधिकारी रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनाार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी  
रायपुर (छत्तीसगढ़)

द्वि. ६६१५ आ. १

# जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि - मोनेट शैक्षणिक समिति मंदिर हसौद रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 28-08-2001 द्वारा संचालित शाला नाम मोनेट डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल मंदिर हसौद रायपुर छ.ग. को कक्षा नवमी से दसवीं/कक्षा ग्यारहवीं से बारहवी तक नवीनीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम-अंग्रेजी) अनुक्रमांक 3258/25.5.2016 पर दिनांक 2016-17 से 2020-21 तक 05 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीप:-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.)में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड:-

*(Handwritten signature in green ink)*

जिला शिक्षा अधिकारी  
रायपुर, (छ.ग.)